न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर० ए० एस०)
मुकदमा नं० :- 655/2018
दायर दिनांक :- 06.09.2018

उनवान

1. तेजा पुत्र कालूराम जाति मीना निवासी काली पहाड़ी तहसील दौसा

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र नन्दूराम
2. कल्लूराम पुत्र नन्दूराम
3. मूलचन्द पुत्र ग्यारसीलाल
4. बाबूलाल पुत्र ग्यारसीलाल

जाति मीना निवासी कालीपहाडी तहसील दौसा जिला दौसा

उपस्थित : 1. श्री दयाराम गुर्जर, अधिवक्ता वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दौसा (दौसा)

दावा स्थाई निषेधाज्ञा - अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम

::निर्णय::

दिनांकः 30.08.2022

वकील मय वादी ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की कालीपहाड़ी तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 1650/2 रकबा 0.35 है0 भूमि स्थित है। जमाबन्दी में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। प्रतिवादीगण का वादी की उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध व वास्ता नही है परन्तु प्रतिवादीगण जबरन बिना किसी अधिकार के वादी की भूमि में जबरन निर्माण करने को आमादा हो रहे है। प्रतिवादीगण अपनी इस बेजा व नाजायज कार्यवाही में सफल हो गये तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी इसलिए वादी न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वे वादी की उक्त भूमि के किसी भी हिस्से व भूभाग में निर्माण कार्य नही करें।

अतः वाद स्थाई स्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी भूमि खसरा न0 1650/2 रकबा 0.35 है0 वाके ग्रम काली पहाडी तहसील दौसा के किसी भी भाग हिस्से में ना तो नींव खोदे न कोई निर्माण ही करे न भूमि में प्रवेश करे।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रतिवादीगण वाबजूद तामिल के अदालत में उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। [illegible] अधिवक्ता के द्वारा अपने वाद के समर्थन में दिनांक 24.08.2022 को लादूराम [illegible] भौरीलाल मीना, रामसहाय पुत्र नहनूराम मीना निवासी कालीपहाड़ी के शपथ-पत्र पेश किये तथा वादी ने स्वंय का भी शपथ-पत्र पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दौसा (जि॰ दौसा)

वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर निर्माण करना चाहते है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में नक्शा (प्रदर्श-1) नकल जमाबन्दी (प्रदर्श-2) पेश किये है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त भूमि ग्राम कालीपहाड़ी स्थित ख0नं0 1650/2 रकबा 0.35 है0 भूमि वादी की खातेदारी भूमि है, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को इस आशय से स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कालीपहाडी स्थित ख0नं0 1650/2 रकबा 0.35 है0 भूमि के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में आज दिनांक 30.08.2022 को सुनाया गया तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा

कार्यालय सहायक कलक्टर ... जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 13:32:58 IST
Reason: SelfAttested